संख्या-101/2018/3463 ई-2/तेरह-2018-33/2012

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 26 नवम्बर,2018

विषय:-मेसर्स किसान फाडर मिल्स लि0, रामनगर, चन्दौली की वार्षिक उपभोग क्षमता निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-175/दस-140 सी(217)/वा0शी0उ0/2017-18, दिनांक 16 अक्टूबर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में की गई संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स किसान फाडर मिल्स लि0, औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर, चन्दौली की पशु आहार निर्माण हेतु वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 30,240 कुण्टल (तीस हजार दो सौ चालीस कुण्टल) निर्धारित किए जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in